

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

## वार्षिक परिपत्र 2020-21

ISO 9001:2015-Certified Organization



Rajesh

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रेषक	प्रेषित
संविव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।	प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/मान्यता प्राप्त उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय।

क्रमांक : 7973/EW/A-II

दिनांक : 26.02.2020

पिष्य : शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु पात्रता शर्ते एवं नवीनतम निर्णयों संबंधी सूचनाएं।

महोदय/महोदया,

हरियाणा सरकार के Memo No. 1/30-2005 SE (5) Dated Panchkula 03.06.2015 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक सीमेस्टर प्रणाली समाप्त कर दी गई है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त विषय में उल्लेखित एवं कुछ अन्य अधोलिखित बिन्दुओं पर जिन दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाना है व जिन नवीनतम निर्णयोंनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है, उनका व्यौरा निम्नप्रकार है :

### (I) प्रवेश हेतु पात्रता शर्ते

- विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचित नियमों में विद्यमान व्यवस्था के दृष्टिगत नियमित विद्यार्थी के तौर पर 10वीं कक्षा में प्रवेश हेतु नौवीं कक्षा व इसी तरह 12वीं कक्षा में प्रवेश हेतु पिछली 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- सीनियर सैकेण्डरी के तीनों संकायों (मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान) में प्रवेश हेतु इस बोर्ड से अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड की जिस परीक्षा को इस बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष (शर्त/विना शर्त) मान्यता है, से केवल अंग्रेजी विषय सहित सैकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है अर्थात् वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में प्रवेश हेतु अंकों की प्रतिशतता अथवा गणित/विज्ञान विषयों में किसी सीमा तक प्रतिशतता के होने जैसी शर्त अब समाप्त हो चुकी है।
- हालांकि बोर्ड की सैकेण्डरी (नियमित/मुक्त विद्यालयी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दसवीं का अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक है, लेकिन यदि किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से सम्बन्धित कोई छात्र सैकेण्डरी के अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह इस शर्त पर 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश का पात्र है कि वह प्रवेश लेने के बाद आगामी लगातार दो अवसरों में उक्त विषय उत्तीर्ण कर ले अन्यथा उसको 11वीं में दिया गया प्रवेश व उसका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। अतः संस्था के मुख्या इस सम्बन्ध में छात्र से लिखित में शपथ-पत्र ले लें।

(II) प्रवेश की तिथियां व अन्य जानकारियां

1. बोर्ड द्वारा आधार नम्बर को परीक्षार्थी के व्यक्तिगत डाटा में अनिवार्य रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी विद्यालय उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार कार्ड नम्बर का रिकॉर्ड तैयार करें तथा परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय विद्यार्थी का आधार नम्बर भरा जाए, ताकि उसे कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके।
2. बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को इस बात से भी अवगत करवायें कि परीक्षा भवन में परीक्षा दौरान विद्यालय की निर्धारित (फुल) वर्दी में ही आएं।
3. प्रायः देखने में आया है कि कई विद्यालय MIS Portal के अनुसार परीक्षार्थियों के विषयों का चयन नहीं करवाते। इसके लिए बोर्ड परीक्षा संचालन में कठिनाई आती है। इसलिए MIS Portal के अनुसार ही विषयों का निर्धारण करवाएं।
4. सैकेष्ठरी कक्षा में उच्चारण अनुसार नाम एक होने पर नाम/पिता/माता के नाम वर्तनी (Speeling) में भिन्नता होने पर शुद्धि करने के लिए विद्यालय मुखिया ही राक्षम है, लेकिन उच्चारण अनुसार नाम वही रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर निम्न प्रकार के नाम ठीक किए जा सकते हैं जैसे :

I.	Pardip Kumar	to	Pardeep Kumar
II.	Harjit Kaur	to	Harjeet kaur
III.	Om Parkash	to	Om Prakash
IV.	Din Dayal	to	Deen Dayal

उक्त उदाहरण अनुसार विद्यालय दाखिला खारिज रजिस्टर में जिनके नाम/पिता/माता के नामों के उच्चारण एक हो तथा वर्तनी (Speeling) में भिन्नता हो तो ऐसे केसों में विद्यालय मुखिया/प्राचार्य अपने स्तर पर विद्यालय रिकार्ड में शुद्धि करते हुए कार्यालय में रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। कार्यालय द्वारा विद्यालय रिकार्ड के आधार पर घोष-पत्र के विवरणों में वांछित शुद्धि कर दी जाएगी।

5. विद्यालय द्वारा ऑन लाईन आवेदन-पत्र भरते समय छात्रों के विवरण जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर न होकर भिन्न-भिन्न भरे जाते हैं। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार नम्बर में दर्शाए विवरणों को आधार मानते हुए विद्यालय मुखिया/प्राचार्य अपने स्तर पर रिकार्ड/दाखिला खारिज रजिस्टर में शुद्धि करके स्वयं के हस्ताक्षर करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी से कटिंग को प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर रिकार्ड कार्यालय में प्रेषित करे, इसी रिकार्ड के आधार पर विद्यालय के अनुरोध पर घोष-पत्र में दर्शाये गए विवरणों में जैसे कि नाम, पिता व माता के नाम, जन्मतिथि एवं आधार नम्बर में शुद्धि कर दी जाएगी। बोर्ड कार्यालय की गलती होने पर प्रमाण-पत्र भेजने की तिथि से तीन मास के अन्दर-अन्दर बोर्ड कार्यालय द्वारा निःशुल्क संशोधन किया जाता है। तीन मास के बाद से तीन वर्ष की अवधि तक बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क सहित संशोधन किया जाता है।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

6. 11वीं व 12वीं कक्षा में छात्रों को केवल उसी संकाय में से विषय लेने की अनुमति दी जाए (जो संकाय के समूह में विषय दिए गए /दर्शाए गए हैं) अर्थात् विज्ञान संकाय का छात्र कला व वाणिज्य का, वाणिज्य संकाय का छात्र विज्ञान व कला का तथा कला संकाय का छात्र विज्ञान व वाणिज्य का विषय लेने के पात्र नहीं हैं। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय लेता है तो उस स्थिति में भी यही नियम लागू होगा।
7. यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा 11वीं में उस शैक्षिक सत्र की 31 अक्टूबर या कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि अनुसार अब विज्ञान से वाणिज्य अथवा कला संकाय तथा वाणिज्य से कला संकाय में संकाय/उसी संकाय में विषय परिवर्तन कर सकता है। कक्षा 12वीं में उसी शैक्षिक वर्ष के 30 अप्रैल तक विज्ञान से वाणिज्य/कला तथा वाणिज्य से कला संकाय में/उसी संकाय में विषय परिवर्तन करने के लिए संस्था मुखिया को प्राधिकृत किया गया है।

**8. प्रवेश की तिथियाँ :**

कक्षा नौवीं में दाखिले की तिथियाँ	
सामान्य दाखिले	24 मार्च, 2020 से 20 अप्रैल 2020 तक
संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलम्ब शुल्क दाखिले	21 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक
संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए दाखिले	03 मई 2020 से 29 मई 2020 तक
कक्षा 11वीं में दाखिले की तिथियाँ	
प्रोविजनल दाखिले	1 अप्रैल, 2020 से
सामान्य दाखिले	बोर्ड के द्वारा घोषित परिणाम के दस दिनों के अन्दर
संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलम्ब शुल्क दाखिले	अगले 10 विद्यालय दिवसों तक
संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए दाखिले	अगले 10 विद्यालय दिवसों तक
इसके उपरान्त निर्देशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा की अनुमति के तहत	

9. बोर्ड द्वारा प्रवर्जन (माइग्रेशन) हेतु बनाए गए नामांकन संबंधी नियमों के अनुसार प्रवर्जन (माइग्रेशन) की तिथि से 20 दिन के अन्दर प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में छात्र का पूर्व विद्यालय में एस.एल.सी. (S.L.C.) जारी करने की तिथि तक उस कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि कोई छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त आगामी कक्षा में प्रवेश लिए दिना ही एस.एल.सी. (S.L.C.) जारी करवाकर प्रवेश के लिए आता है और यदि यहां प्रवेश की निर्धारित तिथियाँ समाप्त हो चुकी हो तो इस अवस्था में 20 दिन की अवधि की गणना के आधार पर उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार आगामी कक्षा में प्रवेश लेने उपरान्त छात्र का विद्यालय से नाम कटने की रिक्ति में जारी किए गए एस.एल.सी. (S.L.C.) के मामलों में भी 20 दिन की अवधि मान्य नहीं होगी।

10. प्रायः देखा गया है कि अन्य राज्यों से परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए छात्रों को आगामी कक्षा में बिना समक्षता की जानकारी के प्रवेश दे दिया जाता है। इस तरह के छात्रों के

मामलों में जब नामांकन (एनरोलमेंट) के लिए आते हैं और यदि उस छात्र द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा इस बोर्ड के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं होती तो ऐसे मामलों में उसको नामांकन जारी नहीं होने पर संबंधित छात्र द्वारा न्यायालय में केस दायर कर दिया जाता है और उसमें बोर्ड कार्यालय को भी पार्टी बनाया जाता है। इस प्रकार के मामलों में विद्यालय द्वारा गलती किए जाने के कारण बोर्ड के समय एवं धन की वर्वादी होती है।

अतः सभी संबंधित संस्थाओं को ध्यान रहे कि अन्य राज्य का कोई छात्र प्रवेश लेने के लिए आता है तो उसको प्रवेश देने से पहले बोर्ड कार्यालय से परीक्षा की समकक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही उसे प्रवेश दें। (जिन बोर्ड्स/संस्थानों की परीक्षा को उच्च कक्षा में प्रवेश हेतु समकक्ष मान्यता दी गई है, उनकी सूची बोर्ड की वैबसाइट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर उपलब्ध है।)

यदि कोई संस्था ऐसे मामलों में विनियमों की अनदेखी करके किसी अन्य राज्य के छात्र को प्रवेश देती है और उसकी मान्यता न होने के कारण उसका नामांकन जारी नहीं होता है तो उससे उत्पन्न स्थिति के लिए पूरी तरह से वही संस्था (विद्यालय) जिम्मेदार होगी।

11. कई बार देखा गया है कि बोर्ड द्वारा विद्यालयों को हिदायतें जारी की जाती हैं, लेकिन संस्थाओं द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता तथा अनावश्यक रूप से कोर्ट के सामने होता है और उसमें बोर्ड को भी संस्था की गलती के कारण पार्टी बनाया जाता है तो इस प्रकार के केसों की पैरवी के लिए बोर्ड पर जो अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा, उसका खर्च दोषी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
12. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ छात्र इस बोर्ड/सी.बी.एस.ई., दिल्ली या अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण करते हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निर्धारित कक्षा 11वीं में प्रवेश की शर्त पूरी नहीं करते, लेकिन वे सी.बी.एस.ई. या अन्य राज्य के बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेते हैं और तत्पश्चात् कक्षा 12वीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आ जाते हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे तौर पर प्रवेश के लिए पात्रता की भी वही शर्त लागू होगी, जो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवश्यक है। अतः कक्षा 12वीं में सीधे प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश देते समय यह देख लिया जाए कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता पूरी करते हैं या नहीं। यदि पात्रता शर्त पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे छात्रों को प्रवेश न दिया जाए।
13. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की माध्यमिक परीक्षा में केवल एक विषय में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. वाले फ्रेश छात्र अर्थात् जिन द्वारा पहली बार मुक्त विद्यालय की परीक्षा दी गई है, 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं। जिन छात्रों का परिणाम एक से अधिक विषयों में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. (Subject to be clear/Subject yet cleared) घोषित हो, उन्हें 11वीं कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रवेश न दिया जाए अर्थात् ऐसे छात्र प्रवेश के पात्र नहीं हैं। एक विषय में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. वाले फ्रेश छात्रों को संस्था द्वारा इस शर्त पर अस्थाई प्रवेश दिया जाए कि वे प्रवेश के बाद आगामी लगातार दो अवसरों में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. उत्तीर्ण कर लेंगे।

14. हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी परीक्षा में फ्रेश छात्रों के रूप में परीक्षा देने वाले छात्रों का परिणाम यदि एक विषय में Compartment घोषित है तो ऐसे छात्र 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं। बशर्ते कि वे प्रवेश लेने उपरान्त आगामी लगातार दो अवसरों में उबल परीक्षा उत्तीर्ण कर लें अन्यथा उनका 11वीं कक्षा का प्रवेश/परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। सी.टी.पी. (Credit Transfer Policy) के अन्तर्गत परीक्षा देने वाले जो छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं, 11वीं में अस्थाई प्रवेश के पात्र नहीं हैं।
15. हरियाणा मुक्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में नियमित छात्र के तौर पर विद्यालयों में प्रवेश के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि वे इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता की शर्त को पूर्ण करते हों अर्थात् उन द्वारा अधिकृत शिक्षण संस्था से कक्षा 9वीं/11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो व अन्य पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हों, तो उन्हें कक्षा 10वीं/12वीं में नियमित छात्र के तौर पर प्रवेश दिया जा सकता है।
16. एक स्थानीय/बाह्य विद्यालय से विद्यालय त्याग प्रमाण—पत्र (एस.एल.सी.10) जारी करवाकर दूसरे स्थानीय/बाह्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अथवा दूसरे राज्य से एस.एल.सी.10 जारी करवाकर हरियाणा राज्य में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि एस.एल.सी.10 जारी करने वाली शिक्षण संस्था उस शैक्षिक सत्र में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त थी व एस.एल.सी. का सत्यापन एस.एल.सी. जारी करने वाली शिक्षण संस्था से अवश्य करवाया जाए। एस.एल.सी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य राज्यों के मामलों में समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रतिस्तानकरित होना अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थियों का यदि नामांकन नहीं हुआ है तो नामांकन हेतु आवेदन करते समय एस.एल.सी. के सत्यापन के संबंध में सत्यापन करने वाली शिक्षण संस्था द्वारा जारी पत्र की प्रति आवेदन—पत्र के साथ संलग्न की जाए व नामांकन का आवेदन करने वाली शिक्षण संस्था के मुखिया यह प्रमाण—पत्र भी देंगे कि उन द्वारा एस.एल.सी. का सत्यापन करवा लिया गया है और एस.एल.सी. सही है।
17. आयुक्त एवं महानिदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा के पत्र क्रमांक 5/160-2005 सै.शि.10 दिनांक 27.02.2006 के अनुसार सी.बी.एस.ई. या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो छात्र कम्पार्टमेंट अर्जित करते हैं, उन्हें अस्थाई प्रवेश देते समय यह लिखित में नोट करवाया जाए कि कक्षा 11वीं में प्रवेश के बाद उन्हें पूरक परीक्षा लगातार आगामी दो अवसरों में ही उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। पूरक परीक्षा के तीसरे अवसर में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का कक्षा 11वीं का परिणाम एवं पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

18. यदि किसी छात्र को सी.बी.एस.ई. की माध्यमिक परीक्षा में पूरक परीक्षा देनी है और वह 11वीं कक्षा में सी.बी.एस.ई. के विद्यालय में प्रवेश लेता है तथा पूरक परीक्षा के तीसरे अवसर में उत्तीर्ण करता है और इस आधार पर सी.बी.एस.ई. की उक्त संस्था द्वारा उसका कक्षा 11वीं का परिणाम घोषित किया जाता है और उसके बाद वह हरियाणा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय में 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आता है तो ऐसे छात्र को 12वीं कक्षा में प्रवेश न दिया जाए। यदि संस्था द्वारा ऐसे छात्र को 12वीं कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है और बोर्ड कार्यालय द्वारा उसका नामांकन क्रमांक जारी नहीं किया जाता है तो उसके लिए वह संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।
19. सी.बी.एस.ई. की विद्यालय स्तर की सैकेण्टरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र भी इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश के पात्र हैं बशर्ते कि वे प्रवेश संबंधी अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हों। इसके लिए बोर्ड कार्यालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्था के मुखिया प्रभाण-पत्र का अवलोकन करने उपरान्त ऐसे विद्यार्थी को अपने स्तर पर प्रवेश दे सकते हैं।
20. 11वीं कक्षा में एक विषय में Compartment अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी 12वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं, परन्तु उनका अस्थाई प्रवेश तभी नियमित किया जाएगा तब उसने 11वीं कक्षा के Compartment विषय को संबंधित शिक्षण संस्थान से 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से पूर्व उत्तीर्ण कर लिया हो अन्यथा उनका 12वीं कक्षा में दिया गया अस्थाई प्रवेश व परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।
21. जिन छात्रों का वार्षिक परीक्षा का परिणाम किन्हीं कारणों से विलम्ब से घोषित होता है। (शुल्क के मामले को छोड़कर) वे परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर आगामी कक्षा में प्रवेश के पात्र हैं। इसी प्रकार जिन छात्रों ने अन्य राज्यों के बोर्ड/संस्थाओं से वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर-अन्दर प्रवेश ले सकते हैं। इस संबंध में अन्य औपचारिकताएं विद्यालय स्तर पर जांची जानी हैं।
22. जो छात्र कक्षा 12वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तथा वही छात्र पुनः कक्षा 12वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वे विभाग द्वारा दाखिलों के लिए निर्धारित तिथि तक विज्ञान से वाणिज्य अथवा कला संकाय तथा वाणिज्य से कला संकाय में संकाय परिवर्तन करते हुए प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दाखिला लेने उपरान्त भी प्रवेश तिथि के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर ऐसे परीक्षार्थी उक्त अनुसार अपना संकाय परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय/संस्था मुखिया सक्षम हैं।
23. प्रत्येक छात्र को वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करना आवश्यक है। इसमें 15 प्रतिशत उपस्थितियां पूरी करने के लिए संस्था के मुखिया प्राधिकृत हैं। यदि संस्था के मुखिया द्वारा उपस्थितियों की छूट देने पर भी निर्धारित 75% उपस्थिति पूरी नहीं होती है तो 10% तक उपस्थिति पूरी करने की छूट के लिए मामले संस्था द्वारा औचित्य एवं सिफारिश सहित बोर्ड कार्यालय में भेजने होंगे। स्वीकृति उपरान्त परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

24. नामांकन की अंतिम तिथि के बाद यदि कोई छात्र अन्य राज्य से प्रवास/प्रवर्जन होकर आता है तो उसे प्रवेश देने से पहले बोर्ड कार्यालय से स्वीकृति ली जाए वयोंकि ऐसा देखने में आया है कि बहुत से विद्यालय प्रवास/प्रवर्जन करने वाले छात्रों को प्रवेश दे देते हैं और बोर्ड कार्यालय को सूचित भी करना आवश्यक नहीं समझते और जब छात्र का रोल नम्बर पहले वाले विद्यालय में चला जाता है, तब विद्यालय द्वारा केन्द्र परिवर्तन वारे अनुरोध किया जाता है। उस समय केन्द्र परिवर्तन के लिए आवेदन करने का समय भी नहीं रहता तथा उस अवस्था में कार्यालय को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवास/प्रवर्जन मामले में बोर्ड कार्यालय से पूर्व अनुमति नहीं ली गई और बाद में मामला बोर्ड के ध्यान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध मामला शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा।
25. शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए सैकेण्डरी तक की विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका (जो पाठ्यक्रम को पूरा करती हो) संस्था के मुखिया अपने स्तर पर लगवा सकते हैं।
26. बोर्ड कार्यालय द्वारा कक्षा नौवी एवं ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के प्रश्न–पत्र मेजे जाएंगे।
27. बोर्ड नियमानुसार आवेदन–पत्र प्राप्त करने की बिना विलम्ब शुल्क व विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित अन्तिम तिथियां बदली व बढ़ाई नहीं जाएगी। अतः आवेदन–पत्र का समय पर जमा करवाना विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। विलम्ब शुल्क सहित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
28. जो छात्र मार्च–2020 में यू.एम.सी. के कारण एक वर्ष या मार्च–2019 में दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित होंगे/हुए हैं, वे छात्र शैक्षिक सत्र 2020–2021 में पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेकर मार्च–2021 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इसके लिए पुनः प्रवेश हेतु अलग से विद्यालय के लिए पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
29. जिन छात्रों का वार्षिक (नियमित) परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण अथवा Compartment घोषित हुआ है। ऐसे छात्र जब उन विषयों की पूरक/वार्षिक परीक्षा में दोबारा देंगे तो उस स्थिति में उनके आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक के अंक पहले वाले ही माने जाएंगे।
30. जिन नियमित छात्रों को Compartment घोषित किया जाता है और वे Compartment की परीक्षा देते हैं तो ऐसे छात्रों के INA (Internal Assessment) के पुराने अंक ही प्रमाण–पत्र में दर्शाए जाएंगे। ऐसे छात्रों के INA (Internal Assessment) के अंक दोबारा नहीं मंगवाए जाएंगे।
31. सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी कक्षाओं में INA (Internal Assessment) के अंकों को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रोफार्मा तैयार करके समुचित रिकार्ड कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना है ताकि बोर्ड/शिक्षा विभाग की समितियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान रिकार्ड की जांच की जा सके।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

32. प्रायोगिक विषयों में Compartment अर्जित करने वाले विद्यालयी छात्रों को उस विषय के उसी भाग जिसमें वे अनुच्छीर्ण हैं, उसी की परीक्षा देनी होगी अर्थात् यदि कोई लिखित में पास, लेकिन प्रायोगिक में अनुच्छीर्ण है तो उसे केवल प्रायोगिक की ही परीक्षा देनी होगी तथा लिखित में अनुच्छीर्ण होने वालों को केवल लिखित की ही परीक्षा देनी होगी।
33. जो छात्र अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की पुनःजांच/पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 20 दिन के अन्दर—अन्दर केवल ऑन—लाइन फार्म भरे जाएंगे। डाक द्वारा या दस्ती कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। 20 दिन की अवधि में परिणाम घोषणा की तिथि शामिल नहीं है।
34. सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (तीनों संकायों में) इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में से सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को गोल्ड प्लेटिन, सिल्वर मैडल व 51000/- रुपये (इक्यावन हजार रुपये) तथा द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को सिल्वर मैडल व 31000/- रुपये (इक्यावन हजार रुपये) देने का निर्णय लिया गया है। इन कक्षाओं के पूरे प्रदेश में लड़कियों में प्रथम आने वाली छात्रा को 200 कल्पना चावला अवार्ड व 51000/- रुपये (इक्यावन हजार रुपये) दिए जाएंगे। इस बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त सारकारी विद्यालयों में सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (तीनों संकायों में) प्रथम व द्वितीय आने वाले छात्र/छात्राओं को भी उपर्युक्त अनुसार ही पुरस्कार दिया जाएगा।
35. छात्रों को निर्धारित पाठ्य योजना अनुसार ही विषयों का चयन करवाया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्य योजना अनुसार चयन नहीं करवाया गया और बोर्ड कार्यालय द्वारा संबंधित छात्र का अनुक्रमांक जारी नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित संस्था ही जिम्मेदार होगी। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय भी लेता है तो वह भी उसी संकाय का होना चाहिए।
36. पुनःजांच शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका निर्धारित है।
37. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/ओपन)/डी.एल.एड. परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर—अन्दर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका है व पुनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाया जा सकता है। यदि किसी परीक्षार्थी का किसी विषय में एक अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके कुल अंकों में जोड़ा जाएगा। इसी तरह यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होंगे तो उसके पूर्व में अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे। परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

38. बी.पी.एल. (B.P.L.) परिवार से सम्बन्धित छात्रों का सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का 800/- रुपये (आठ सौ रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए परीक्षार्थी को बी.पी.एल. (B.P.L.) कार्ड की प्रमाणित प्रति लगानी होगी।
39. कोई भी छात्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के 60 दिन के अन्दर—अन्दर 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका व Under Taking का फार्म भरकर अपनी उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति ले सकता है।
40. सैकेण्डरी के प्रमाण—पत्रों में उन्हीं 05 (पांच) विषयों का योग दर्शाया जाएगा, जिसमें छात्र के सर्वोत्तम अंक है।
41. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कुछ विद्यालयों में NSQF के 14 विषयों का अध्यापन करवाने की अनुमति दी गई है, जिनका विवरण पात्र्य योजना में दर्शाया गया है। इसलिए जिन विद्यालयों में इन विषयों को पढ़ाने की अनुमति है, वे विद्यालय ही छात्रों को ये विषय लेने की स्वीकृति दें, अन्य विद्यालय नहीं। इन विषयों की लिखित परीक्षा का प्रश्न—पत्र 60 अंकों का होगा। छात्र के प्राप्तांकों को 30 अंकों के आधार पर आनुपातिक रूप से परिवर्तित करके दर्शाया जाएगा।

### **(III) हरियाणा मुक्त विद्यालय संबंधी सूचना**

1. मार्च/अप्रैल—2020 में नियमित अनुत्तीर्ण छात्र यदि परीक्षा पुनः देना चाहे तो वे उसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा देनी होगी या ऐसे छात्र हरियाणा मुक्त विद्यालय की C.T.P. (Credit Transfer Policy) प्रणाली के अन्तर्गत वार्षिक में परीक्षा दे सकते हैं। (कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं)
2. वर्ष/सत्र मार्च—2020 के परीक्षा परिणाम से जो छात्र मुक्त विद्यालय सीनियर सैकेण्डरी PHY, CHE, BIO विषयों की प्रायोगिक विषय के लिखित भाग में फेल हों तथा प्रायोगिक/S.S.A. भाग में पास हों तो ऐसे परीक्षार्थियों को उक्त रि—अपीयर विषय की लिखित व प्रायोगिक दोनों भाग में परीक्षा देनी अनिवार्य होगी जो कि 70/30 अंकों अनुसार आयोजित करवाई जाएगी।
3. जो छात्र PHY, CHE, BIO विषयों की प्रायोगिक परीक्षा के लिखित तथा S.S.A. भाग में पास हों तथा प्रायोगिक भाग में फेल हों ऐसे परीक्षार्थियों को विषय के रि—अपीयर भाग अर्थात् प्रायोगिक भाग में परीक्षा देनी अनिवार्य होगी तथा परीक्षा 70/30 अंकों अनुसार आयोजित करवाई जाएगी। छात्र के द्वारा लिखित पास भाग को 70/30 अंकों में विभाजित करने के लिए S.S.A. भाग के निर्धारित 20 अंकों में से जितने अंक छात्र द्वारा अर्जित किए हैं उसके आधे अंक लिखित भाग में जोड़ दिए जाएंगे। भविष्य में अर्थात् सितम्बर—2020 की परीक्षाओं से छात्रों को दोनों लिखित व प्रायोगिक भाग में परीक्षा

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

देना अनिवार्य होगा चाहे वे उक्त विषय के लिखित या प्रायोगिक किसी भाग में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण क्यों न हो तथा परीक्षा 70/30 अंकों अनुसार आयोजित करवाई जाएगी।

4. PHY, CHE, BIO प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी के अन्य प्रायोगिक विषयों पर भी यही उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी अर्थात् अगर छात्र प्रायोगिक विषय के लिखित भाग में फेल तथा प्रायोगिक भाग में पास होगा तो उसे उस विषय की लिखित व प्रायोगिक दोनों भाग में परीक्षा देनी होगी तथा जो छात्र प्रायोगिक परीक्षा के लिखित भाग में पास तथा प्रायोगिक भाग में फेल होगा तो उसे केवल प्रायोगिक भाग की परीक्षा देनी होगी। यह लाभ केवल शैक्षिक सत्र मार्च–2020 में परीक्षा देने वाले छात्रों पर ही लागू होगा। भविष्य में अर्थात् सितम्बर–2020 की परीक्षाओं से छात्रों को दोनों लिखित व प्रायोगिक भाग में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। लेकिन अन्य विषयों की परीक्षाएं विषयों के निर्धारित अंकों अनुसार आयोजित करवाई जाएंगी न कि सभी प्रायोगिक परीक्षाएं 70/30 अंकों के अनुसार होगी।
5. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षा के सभी अन्तिम अवसर समाप्त होने के बाद जो छात्र हरियाणा मुक्त विद्यालय की सी0टी0पी0 कैटेगरी से परीक्षा देने के लिए आवेदन करेंगे तो उनकी प्रायोगिक विषय/विषयों की परीक्षा के लिखित या प्रायोगिक किसी भी एक भाग में रि-अपीयर होगी तो उनके उन विषय/विषयों के पास भाग के अंक अग्रेष्ट नहीं किए जाएंगे तथा उन्हें उस विषय की लिखित व प्रायोगिक दोनों भागों में परीक्षा देना अनिवार्य होगा यह प्रक्रिया सितम्बर–2020 की परीक्षाओं से लागू होगी।
6. कोई भी छात्र जिसके द्वारा इस बोर्ड से या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी से अतिरिक्त विषय के रूप में परीक्षा दे सकता है, जो विषय उस द्वारा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण न किए गए हों।

#### (IV) अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा अवार्ड देने के लिए गैरिट की गणना अंकों के आधार पर निकाली जाती है।
2. यदि कोई छात्र सैकेण्डरी में हिंदी विषय में अनुत्तीर्ण, लेकिन छठे विषय संस्कृत में उत्तीर्ण है तो उसे हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। ऐसे छात्रों को सैकेण्डरी में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए हिंदी विषय उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
3. कुछ विद्यालयी छात्रों को INA (Internal Assessment) में अनुपस्थित/शून्य अंक दर्शाते हुए अवार्ड सूची भेजते हैं। जबकि INA (Internal Assessment) में किसी भी छात्र को अनुपस्थित/शून्य नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि वह आन्तरिक मूल्यांकन है, जो पूरे

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जो छात्र विद्यालय में पूरे शैक्षिक सत्र में उपस्थित होता है, उसे किसी भी हालत में अनुपस्थित नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इस कार्यालय द्वारा INA (Internal Assessment) के संदर्भ में जो निर्देश पहले भेजे गए हैं, उनके अनुसार छात्रों को अंक दिए जाने हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा उनकी उल्लंघना की जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

4. INA (Internal Assessment) प्रणाली के अन्तर्गत खेलों व अन्य क्रियाकलापों के लिए दिए जाने वाले घेउ का विवरण इस प्रकार है :

Sr. No.	Co-curricular Activities Level	Grade for Participation	Grade for Position holder
		D	C
1.	School	C	B
2.	Block	B	A
3.	District	A	A+
4.	State	A+	A++
5.	National		

5. अब जो विद्यालयी परीक्षार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के एक वर्ष की अवधि में वह परीक्षा स्वयंपाठी परीक्षार्थी के तौर पर दे सकेंगे। इस प्रकार सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) मार्च–2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी मार्च–2021 में स्वयंपाठी तौर पर परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे भविष्य में भी इसी अनुसार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के एक वर्ष के अन्दर वार्षिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। उसके बाद उन्हें शैक्षिक प्रणाली से और अवसर नहीं दिया जाएगा।
6. आगामी जुलाई–2020 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में केवल सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी कम्पार्टमेंट के परीक्षार्थियों को ही परीक्षा लेने का प्रस्ताव दिया गया।
7. वर्तमान में परीक्षार्थियों को कम्पार्टमेंट की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तीन अवसर (जुलाई, मार्च, जुलाई) दिये जा रहे हैं। अब यह तीन अवसर जुलाई, सितम्बर, मार्च में दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे परीक्षार्थी को एक ही वर्ष में तीन अवसर प्राप्त हो सकेंगे जिससे सैकेण्डरी परीक्षा तीसरे अवसर में भी कम्पार्टमेंट उत्तीर्ण करने पर कक्षा ग्राहकी में प्रवेश का पात्र हो सकेगा।
8. आंशिक अंक सुधार में पूर्व की मांति एक विषय को छोड़कर चार विषयों तक परीक्षार्थी प्रविष्ट हो सकेगा। जिसकी परीक्षा सितम्बर माह में आयोजित की जायेगी जो परीक्षार्थी सितम्बर माह में कम्पार्टमेंट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वह आगामी वार्षिक परीक्षा में आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार में से कोई एक परीक्षा दे सकता है।
9. सितम्बर माह में कम्पार्टमेंट/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषयों की परीक्षा बनती पात्रता के आधार पर आयोजित की जायेगी।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

10. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त परीक्षार्थी तुरन्त आगामी अवसर में आंशिक अंक सुधार की परीक्षा व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष के अन्दर-अन्दर पूर्ण विषय की अंक सुधार की परीक्षा देने के पात्र होंगे।
11. यदि किसी परीक्षार्थी का परिणाम पूरक परीक्षा (सितम्बर परीक्षा) से पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन के कारण परीक्षा आरम्भ होने से 15 दिन पूर्व तक घोषित होता है तो उसे पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में विशेष अवसर दिया जा सकता है।

**(V) NSQF से सम्बन्धित**

1. शैक्षिक सत्र 2017–18 से अन्तिम तिथि के पश्चात् यदि कोई विद्यालय किसी विद्यार्थी का Registration करने से वंचित रह जाते हैं तो उस पर 300/- रुपये (तीन सौ रुपये) प्रति विद्यार्थी (अधिकतम 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये)) के साथ ऑफ-लाइन जुर्माना दस्ती तौर पर बोर्ड कार्यालय में प्रार्थना-पत्र सहित जमा करने उपरान्त Online Registration करने हेतु Link खुलवाया जाता है।
2. विद्यालय को त्रुटि ठीक करने का समय देने के बावजूद भी उन द्वारा भेजे गए डाटा को अच्छी तरह चैक नहीं किया जाता है। जिसके बाद विद्यालय द्वारा पुरे वर्ष त्रुटियां ठीक करने का अनुरोध किया जाता है। इस सम्बन्ध में स्किल विषयों के डाटा में भी शुद्धि के लिए 300/- (तीन सौ रुपये) प्रति शुद्धि शुल्क लिया जाता है।
3. कक्षा 9वीं एवं 11वीं के श्योरी के अंकों की अवार्ड निर्धारित तिथि तक अपलोड न करने उपरान्त 300/- रुपये (तीन सौ रुपये) प्रति विद्यार्थी (अधिकतम 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये)) जुर्माना लिया जाएगा।

**(V) माइग्रेशन (प्रवर्जन)**

1. एस.एल.सी. (S.L.C.) जारी करने वाली संस्था एस.एल.सी. (S.L.C.) पर उक्त छात्र की उपस्थितियां, INA (Internal Assessment) तथा एनरोलमेंट आदि सम्पूर्ण विवरण प्रवेश देने वाली संस्था को उपलब्ध करवाएगी।
2. कक्षा 9वीं एवं 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों को यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि दोनों संस्थाओं के मुखिया आपस में सहमत हैं तो माइग्रेशन किया जा सकता है।
3. कक्षा 10वीं व 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो परीक्षा आवेदन-पत्र बोर्ड कार्यालय में भेजने से पूर्व तक संस्था के मुखिया प्राधिकृत हैं तथा इसके बाद इसके लिए बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी।

**(VI) सामान्य**

1. बोर्ड कार्यालय को गत वर्ष में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा कुछ विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से प्रविष्ट किया हुआ था। ऐसा किया जाना नियमों के विरुद्ध था, इसलिए ऐसे अपात्र परीक्षार्थियों के परीक्षाफल बोर्ड द्वारा घोषित नहीं किए गए और जांच उपरान्त ऐसे विद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता रद्द करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः सभी विद्यालयों के मुखिया सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में ऐसी अनियमितताएं किसी भी स्तर पर न हो पाएं अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जाएगी और ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त विद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
2. नियमित छात्रों के संदर्भ में केवल उस संस्थान से ही पत्र व्यवहार किया जाएगा, जिसमें वे अध्ययन करते हैं। ऐसे छात्रों से बोर्ड का कोई सीधा पत्र व्यवहार नहीं होगा। अतः उक्त छात्रों की किसी भी त्रुटि की सूचना के लिए संबंधित संस्थान जिम्मेदार होगा।
3. बोर्ड कार्यालय को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ विद्यालय अपना दाखिला एवं खारिज रजिस्टर, उपरिथिति रजिस्टर, पेस्ट फाइल, शुल्क संबंधी रिकॉर्ड इत्यादि नियमित रूप से तैयार नहीं करते। सभी संस्थाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि वांछित रिकॉर्ड नियमानुसार तैयार हो और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन—पत्र प्रति—हस्ताक्षरित करते समय संबंधित विद्यालय का रिकॉर्ड देखा जाएगा।
4. शिक्षा बोर्ड से संबंधित किसी भी कार्य हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं। यदि गोपनीय रूप से कोई शिकायत बोर्ड कार्यालय में दी जाती है तो शिकायतकर्ता अपने पूरे नाम व पते के साथ शिकायत में दिए जा रहे तथ्यों की पुष्टि हेतु एक शपथ—पत्र भी संलग्न करेंगे।
5. जैसा प्रवेश पात्रता की शर्तों में उल्लेख किया गया है कि कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा कक्षा 9वीं व 12वीं हेतु कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की हुई हो, इस संबंध में अतीत में बोर्ड के नोटिस में आई अनियमितताओं के दृष्टिगत सभी विद्यालयों के मुखिया प्रवेश की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश हेतु पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा प्रमाण—पत्र/विद्यालय त्याग—पत्र वास्तव में उस शैक्षिक सत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और उसका सत्यापन आदि भी नियमानुसार करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।  
जो छात्र सीधे तौर पर कक्षा 10वीं/12वीं की मुक्त विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, ऐसे छात्रों को प्रवेश न दिया जाए, यदि उन द्वारा कक्षा 9वीं/11वीं परीक्षा उत्तीर्ण न की गई हो।
6. विद्यालयों से प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्रों में विद्यार्थी द्वारा विकल्प में दिए गए विषयों/विषय कोड को ध्यानपूर्वक न भरने से अनावश्यक रूप से विषय शुद्धि हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं, जिससे परीक्षार्थियों व अभिभावकों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

अतः विद्यालयों के मुखियाओं को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में अपने विद्यालय से संबंधित छात्रों के विषयों के कोड नम्बर निर्धारित कॉलम में ध्यानपूर्वक ठीक भरकर भेजें ताकि छात्रों के विषय गलत पंच न हों। ध्यान रहे कि अंतिम तिथि के बाद आवेदन—पत्र में किसी भी प्रकार की शुद्धि/परिवर्तन विषय शुद्धि (सहित) अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

7. बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों का ही विद्यालयों में अध्ययन करवाएं तथा छात्रों को किसी निजी प्रकाशक की कोई भी पाद्य पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए अन्यथा संस्था व उसके मुखिया/संबंधित अध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
8. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो परीक्षार्थी कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के अधीन संचालित आईटीआई के माध्यम से आठवीं कक्षा के आधार पर दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्सिज या एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ—2 एक वर्ष की प्रशिक्षुता (Apprenticeship) परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत परीक्षार्थी इस बोर्ड से सैकेण्डरी कक्षा की हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित 10वीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष माने जायेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10+1 में किसी भी संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

इसी प्रकार 10वीं(सैकेण्डरी) परीक्षा के आधार पर दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्सिज या एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ—2 एक वर्ष की प्रशिक्षुता (Apprenticeship) परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत परीक्षार्थी इस बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी कक्षा की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित 12वीं (सीनियर सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष माने जायेंगे।

9. अतिरिक्त विषय/विषयों के लिए ऑन लाईन आवेदन करने उपरांत परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (डिप्लोमा की सत्यापित छाया प्रति सहित) बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है।
10. आई०टी०आई० डिप्लोमा कोर्सिज एवं अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करने उपरांत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सैकेण्डरी परीक्षा व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष होने वारे जानकारी बोर्ड की समकक्षता सूची में उपलब्ध है।
11. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा किसी भी परीक्षा को समकक्ष मान्यता केवल उच्च कक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

समकक्षता सूची बोर्ड की वेबसाइट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर उपलब्ध है।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020-2021**

**SCHEME OF STUDIES 2020-2021**

**SECONDARY SCHOOL EXAMINATION**

Sr. No.	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	INA	Total Marks
1.	Hindi (First Language)	80	-----	20	100
2.	English (Second Language)	80	-----	20	100
3.	Mathematics	80	-----	20	100
4.	Social Science	80	-----	20	100
5.	Science	60	20	20	100
6.	Any one of the following : A) Third Language (any one out of Sanskrit/ Punjabi/ Urdu) B) Home Science C) Agriculture D) Animal Husbandry E) Drawing F) Music G) Dance H) Physical and Health Education I) Computer Science J) Any one of the following subject : (i) ITES, (ii) Automobile, (iii) Security Services, (iv) Retail Industry Business, (v) Beauty and Wellness, (vi) Physical Education and Sports, (vii) Agri-Paddy Farming, (viii) Tourism-Hospitality-Travel, (ix) Banking & Finance Services, (x) Banking Insurance, (xi) Apparel Designing (xii) Multi Skill Foundation Course (Only for selectes Schools)	80  60 60 60 60 20 20 60 40 30	---  20 20 20 20 60 60 20 40 50	20  20 20 20 20 20 20 20 20 20	100  100 100 100 100 100 100 100 100 100

**Note :** INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS TO BE SENT BY SCHOOLS INA STRUCTURE IS AS UNDER :

INA Total Marks                            20 Marks

SAT (Student Assessment Test)        10 Marks

Attendance 05 marks, PBL (Project Based Learning) 05 marks. (SAT {04 marks of SAT, 02 marks half yearly test, 02 marks pre Board test/SAT, 02 marks classroom participation})

## SUBJECTS OF INTERNAL ASSESSMENT TO BE SENT BY SCHOOLS

7. General Awareness & Life Skills;-

8. Co-curricular Activities:

a) Sports and Games

b) Cultural/Literary/Scientific Activities/NCC/Scouts and Guides

Notes :

1. Blind student will not be allowed to opt for Drawing as subject of study. They shall also be exempted from Practical Examination except in music. In such cases, the marks in theory papers shall be proportionately increased.
2. Blind candidates shall be exempted from Geometry part of Mathematics and the marks in Algebra part shall be proportionately increased.
3. Deaf & Dumb, Dyslexia and spastic candidates will be exempted from one of the two compulsory languages.

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

**SCHEME OF STUDIES 2020-2021**

**SENIOR SECONDARY CERTIFICATE EXAMINATION**

**A) COMPULSORY SUBJECTS**

Sr. No.	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	INA	Total Marks
1.	English (Core/Elective)	80	----	20	100
2.	Hindi(Core/Elective) (Only for Humanities group) (English special for foreign Students in lieu of Hindi Core)	80	----	20	100
3.	General Awareness & Life Skills (Internal Assessment grading on five point scale)	Grades	Grades	Grades	Grades
4.	Co-curricular Activities (a) Sports and Games (b) Cultural / Literacy/ Scientific activities/ NCC/Scouts & Guides	Grades	Grades	Grades	Grades
5	Computer Education	----	----	----	----

**नोट :** शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाएं गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों को विषय का चयन करना आवश्यक है।

**B) OPTIONAL SUBJECTS**

**HUMANITIES GROUP (Any three out of these subjects)**

Sr. No	Name of the subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	INA	Total Marks
1.	Sanskrit/Urdu/Punjabi	80	---	20	100
2.	History	80	---	20	100
3.	Political Science	80	---	20	100
4.	Economics	80	---	20	100
5.	Sociology	80	---	20	100
6.	Philosophy	80	---	20	100
7.	Mathematics	80	---	20	100
8.	Public Administration	80	---	20	100
9.	Geography	60	20	20	100
10.	Psychology	60	20	20	100
11.	Physical Education	60	20	20	100
12.	Agriculture	60	20	20	100
13.	Home Science	60	20	20	100
14.	Military Science	60	20	20	100
15.	Computer Science	40	40	20	100
16.	Music	30	50	20	100
17.	Dance	30	50	20	100
18.	Fine Arts (Painting/Graphics/Sculpture/Applicd Arts/Commercial Arts)	30	50	20	100

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

19.	Only Any one out of A & B of the following subjects : A. ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistant, Travel-Tourism-Hospitality, Agri-Paddy Farming, Media-Animation, Banking and Insurance Services, Banking and Finance Services, Appreal Fashion Design, Vision Technician. <u>(Only for NSQF Selected School)</u> B. OSS Hindi, OSS English <u>(All over Haryana where OSSH or OSSE already exists.)</u>	30	50	20	100
		60	20	20	100

**Note :** INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS TO BE SENT BY SCHOOLS INA STRUCTURE IS AS UNDER :

INA Total Marks                            20 Marks

SAT (Student Assessment Test)        10 Marks

Attendance 05 marks, PBL (Project Based Learning) 05 marks.

**नोट :** शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाए गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों को विषय का ध्यन करना आवश्यक है।

**COMMERCE GROUP (Any four out of these subjects)**

Sr. No.	Name of the Subject	Maximum marks in theory	Maximum marks in practical	INA	Total Marks
1.	Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/Urdu/ Punjabi	80	---	20	100
2.	Business Studies	80	---	20	100
3.	Economics	80	---	20	100
4.	Mathematics	80	---	20	100
5.	Accountancy	60	20	20	100
6.	Entrepreneurship	60	20	20	100
7.	Computer Science	40	40	20	100
8.	Only Any one out of A & B of the following subjects :  A.ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistant, Travel-Tourism-Hospitality, Agri-Paddy Farming, Media-Animation, Banking and Insurance Services, Banking and Finance Services, Appreal Fashion Design, Vision Technician.	30	50	20	100

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020-2021**

	<b>(Only for NSQF Selected School)</b> B. OSS Hindi, OSS English <b>(All over Haryana where OSSH or OSSE already exists.)</b>	60	20	20	100
<b>Note :</b> INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS TO BE SENT BY SCHOOLS INA STRUCTURE IS AS UNDER :					
INA Total Marks	20 Marks				
SAT (Student Assessment Test)	10 Marks				
Attendance 05 marks, PBL (Project Based Learning) 05 marks.					

**नोट :** शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाएं गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों को विषय का चयन करना आवश्यक है।

**SCIENCE GROUP (Any four out of these subjects)**

Sr. No.	Name of the Subject	Maximum Marks in theory	Maximum Marks in practical	INA	Total Marks
1.	Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/Urdu/ Punjabi	80	---	20	100
2.	Mathematics	80	---	20	100
3.	Physics	70	30	---	100
4.	Chemistry	70	30	---	100
5.	Biology	70	30	---	100
6.	Home Science	60	20	20	100
7.	Agriculture	60	20	20	100
8.	Geography	60	20	20	100
9.	Biotechnology	60	20	20	100
10.	Computer Science	40	40	20	100
11.	Any one of the following subjects : ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistant, Travel-Tourism-Hospitality, Agri-Paddy Farming, Media-Animation, Banking and Insurance Services, Banking and Finance Services, Appreal Fashion Design, Vision Technician.	30	50	20	100

**Note :** I) INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS TO BE SENT BY SCHOOLS INA STRUCTURE IS AS UNDER :

INA Total Marks 20 Marks

SAT (Student Assessment Test) 10 Marks

Attendance 05 marks, PBL (Project Based Learning) 05 marks.

II) Physics, Chemistry & Biology subjects practical marks distribution is as under:-

Distribution of Marks **Total Marks=30**

A Internal Examiner: **15 marks**

i) Student Assessment Test 10 marks

**weightage of marks**

(SAT{04 marks of SAT, 02 marks half yearly test, 02 marks pre Board test, 02 marks attendance and

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

	classroom participation})	
	ii)Practical file/record	03 marks
	iii)Project work	02 marks
B	External Examiner	<b>15 marks</b>
	i)Experiments	09 marks (Two Exp. 4 ½ marks each )
	ii)Activity	03 marks (One activity from syllabus)
	iii)Viva-voce	03 marks (Based on exp. & Activity)

**Scheme of Studies exclusively for the students of Centre of Excellence**

“जिला फरीदाबाद स्थित राज्य स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पाठ्ययोजना में 2015–16 से सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी स्तर पर NSQF के दो विषय सम्मिलित करने उपरान्त केवल इस संस्थान की पाठ्य-योजना निम्न प्रकार से होगी :

**At Secondary Level :**

As per the existing Scheme of Studies, the following subjects are mainly offered :

1. Hindi 2.English 3.Mathematics 4.Social Studies 5.Science 6.Any one of the following :

- a) Third Language.  
(Any one out of Sanskrit/Punjabi/Urdu)
- b) Home Science
- c) Agriculture
- d) Animal Husbandry
- e) Drawing
- f) Music
- g) Dance
- h) Physical and Health Education
- i) Computer Science
- j) Any one of the following subjects :

ITES, Automobile, Security Services, Retail Industry Business, Beauty and Wellness, Physical Education and Sports, Patient Care Assistant, Agri-Paddy Farming, Tourism-Hospitality-Travel, Media-Animation, Banking & Finance Services, Banking Insurance, Apparel Designing, Vision Technician.

(There are 10 options including NSQF subjects)

For the students of “Centre of Excellence” where we have to offer two compulsory subjects of NSQF, the Scheme of Studies recommended for this purpose is as follows :

1. Hindi 2.English 3.IT&ES 4 Any other subject under NSQF 5. Mathematics 6.Social Science 7.Science.

Thus there will be seven subjects to study and qualify.

**At Sr. Secondary Level :**

As per the present Scheme of Studies, the following main subjects are compulsory to qualify in the three streams :

Humanities: 1.English 2.Hindi

Commerce : 1.English

Science : 1.English

In total a student has to qualify in at least five subjects including the compulsory subjects.

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

Now if two subjects of NSQF are to be offered in all the three streams for the students of Centre of Excellence, the Scheme of Studies for this purpose is recommended as follows :

- Humanities :** 1. English 2. Hindi 3. IT&ES 4. Any other subject under NSQF 5. Other elective  
6. Other elective (History, Political Science, Geography, Home Sci., Mathematics, Economics)
- Commerce :** 1. English 2. IT&ES 3. Any other subject under NSQF 4. Accountancy  
5. Business Studies 6. Other Elective (Economics/Mathematics)
- Science :** 1. English 2. IT&ES 3. Any other subject under NSQF 4. Physics 5. Chemistry 6. Other Elective (Biology/Mathematics)

**Notes :**

- i) In Science/Commerce Groups, English (Core or Elective) is compulsory.  
In addition, a candidate can opt for one more language at the most.
- ii) In Humanities Group both English (Core/Elective) and Hindi (Core/Elective) are compulsory. In addition a candidate can opt for one more language at the most.
- iii) Regular candidates are free to opt for any additional subject/s only within stream. However, it is optional and need not to be taken compulsory.
- iv) A blind candidate shall be exempted from practical examination except in Music & dance and in case of such exemption, the marks in theory papers shall be proportionately increased.
- v) The Board shall lay down detailed syllabi in various subjects and prescribe/approve/recommend textbooks for study in the subjects.

**अन्य महत्वपूर्ण**

1. NSQF के अन्तर्गत विषयों के प्रश्न-पत्र 60 अंकों के होंगे तथा रिजल्ट टेबुलेशन 30 अंकों के आधार पर होगा। इन विषयों का संचालन NSQF प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित वयनित विद्यालयों में ही होगा अर्थात् अन्य विद्यालयों में नहीं। उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद स्थित राज्यस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र से अतिरिक्त विद्यालय का कोई भी परीक्षार्थी वर्धित विषयों में से केवल एक विषय को ही ले सकेगा।

**CRITERIA FOR QUALIFYING (w.e.f. 2016-17)**

**I. SECONDARY**

In order to earn the Certificate of Qualification, a candidate will have to qualify in the following five subjects of external examination :

- i) Hindi (First Language),
- ii) English (Second Language),
- iii) Mathematics,
- iv) Social Science and
- v) Science and Technology.

In order to qualify in a subject, he/she will have to obtain at least 33% marks (marks in external examination + marks in INA + marks in Practicals) provided that he/she obtains at least 33% marks separately in the external examination and obtains at least 33% marks separately in Practicals, if any there will be no minimum pass marks for INA aggregate (For the subject in which there is only internal assessment, grades will be shown in the certificate but there will be no minimum grade required for qualifying)

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

**Note :**

1. If a candidate qualifies in all the 6 subjects, then the best scoring 5 subjects of external examination will be counted for determining aggregate marks/Grade Point Average, i.e. the subject in which one has obtained the least marks will not be counted. In case more than one subject has the same least marks, then the subject not to be counted will be in the following order of priority: Social Science, Science & Technology, Mathematics, Hindi, English.
2. If a candidate does not qualify either in theory paper or practical paper and vice-versa, he will have to compartment only in the particular paper i.e. if he has failed in theory paper his practical marks attained previously will be considered as such and vice-versa
3. In case of best five formula, marks not grades will be considered only of the five subjects in which candidate has attained maximum marks.
4. Further, if a candidate does not qualify in Hindi, but qualifies in Sanskrit as sixth subject, then Sanskrit can replace Hindi for earning the certificate of Qualification.

**I. GRACE**

1% grace (per subject appeared) will be given for qualifying (i.e. for getting 33% marks) in as many subjects as possible, and not for improving grade. (Other provisions that exist in the Regulations regarding Grace will remain in force as such)

**II. SENIOR SECONDARY :**

In order to earn the Certificate of Qualification, a candidate will have to qualify in all five subjects of external examination separately.

In order to qualify in a subject, he/she will have to obtain at least 33% marks in the aggregate of external examination, INA & Practicals provided that he/she obtains at least 33% marks separately in the external examination obtains at least 33% marks separately in practicals, if any there will be no minimum pass marks for INA (For subjects in which there is only internal assessment, grades will be shown in the certificate but there will be no minimum grade required for qualifying)

**Note :**

1. In case one qualifies in all 6 subjects (including additional subject), then the marks obtained in the best scoring 4/5 subjects (excluding the compulsory subjects, i.e. Hindi and/or English depending on the stream) will be counted for determining GPA/Aggregate marks, i.e. the main optional subject in which one has obtained the least marks will be replaced by the Additional subject.
2. If a candidate does not qualify either in theory paper or practical paper and vice-versa, he will have to compartment only in the particular paper i.e. if he has failed in theory paper his practical marks attained previously will be considered as such and vice-versa
3. In case of best five formula marks not grades will be considered only of the five subjects in which candidate has attained maximum marks.

**I. GRACE**

1% grace (per subject appeared) will be given for qualifying (i.e. for getting 33% marks) in as many subjects as possible, and not for improving grade. (Other provisions that exist in the Regulations regarding Grace will remain in force as such)

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

शैक्षिक सत्र 2020–2021 के लिए कक्षा नौवीं से बारहवीं तक लागू पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों की सूची :

कक्षा नौवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी	1. वित्तिज भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 2. कृतिका भाग-1 (हिंदी पूरक) (ह.वि.शि.बो.)
2.	English	3. Beehive (English Textbook) (ह.वि.शि.बो.) 4. Moments English (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)
3.	गणित	5. गणित (ह.वि.शि.बो.)
4.	सामाजिक विज्ञान	6. भारत और समकालीन विश्व-1 (इतिहास) (ह.वि.शि.बो.) 7. समकालीन भारत-1 (भूगोल) (ह.वि.शि.बो.) 8. अर्थशस्त्र और राजनीति विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)
5.	विज्ञान	9. विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)
6.	चर्दू	10. जान पहचान भाग-4 (द्वितीय माध्य) (NCERT)
7.	पशु पालन	11. पशु विज्ञान भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 12. पशु विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
8.	पंजाबी	13. साहित्यक किरणा भाग-1 (सी.बी.एस.ई.) 14. साहित्य रंग भाग-1 (सी.बी.एस.ई.)
9.	संस्कृत	15. शेषुषी भाग-1 (ह.वि.शि.बो.)
10.	ITES	16. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
11.	ऑटोमोबाइल	17. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
12.	सिक्योरिटी सर्विसेज	18. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
13.	रिटेल इण्डस्ट्री विजनेश	19. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
14.	ब्यूटी एंड वैलनेस	20. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
15.	फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स	21. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
16.	पेशेंट केयर एसिस्टेंट	22. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
17.	एग्री पैडी फार्मिंग	23. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
18.	टुरिजम हॉस्पीटलिटी ट्रेवल	24. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
19.	भिडिया एनीमेशन	25. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
20.	Banking and finance services	26. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
21.	Banking Insurance	27. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
22.	Apparel Designing	28. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
23.	Vision Technician	29. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	नैतिक शिक्षा	30. नैतिक शिक्षा (हरिया विद्यालय शिक्षा बोर्ड)

**नोट :** उपर्युक्त के अतिरिक्त गृह विज्ञान, कृषि, ड्राइंग, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को कवर करती हुई पुस्तक अपनाने वारे संस्था के मुखिया अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड हारा कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

कक्षा दसवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी	1. द्वितीज माग-2 (ह.वि.शि.बो.) 2. कृतिका माग-2 (हिंदी पूरक) (ह.वि.शि.बो.)
2.	English	3. First Flight (English Textbook) (ह.वि.शि.बो.) 4. Footprints without feet (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)
3.	गणित	5. गणित (ह.वि.शि.बो.)
4.	सामाजिक विज्ञान	6. भारत और समकालीन विश्व-2 (इतिहास) (ह.वि.शि.बो.) 7. समकालीन भारत-2 (भूगोल) (ह.वि.शि.बो.) 8. आर्थिक विकास की समझ (ह.वि.शि.बो.) 9. लोकतांत्रिक राजनीति-2 (ह.वि.शि.बो.)
5.	विज्ञान	10. विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)
6.	उद्योग	11. ज्ञान पहचान माग-5 (द्वितीय भाषा) (NCERT)
7.	पशु पालन	12. पशु विज्ञान माग-2 (ह.वि.शि.बो.) 13. पशु विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका माग-2 (ह.वि.शि.बो.)
8.	पंजाबी	14. साहित्यक किरणा माग-2 (सी.बी.एस.ई.) 15. साहित्य रंग माग-2 (सी.बी.एस.ई.)
9.	संस्कृत	16. श्रोमुष्ठी माग-2 (ह.वि.शि.बो.)
10.	ITES	17. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
11.	ऑटोमोबाइल	18. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
12.	सिक्योरिटी सर्विसेज	19. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
13.	रिटेल इण्डस्ट्री विजनेस	20. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
14.	ब्यूटी एंड बैलनेस	21. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
15.	फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स	22. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
16.	पेर्शनल कोर्यर एंसिस्टेंट	23. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
17.	एग्री पैडी फार्मिंग	24. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
18.	टुरिजम हॉस्पीटलिटी ड्रेवल	25. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
19.	मिडिया एनीमेशन	26. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
20.	Banking and finance services	27. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
21.	Banking Insurance	28. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
22.	Apparel Designing	29. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
23.	Vision Technician	30. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	नेतृत्व शिक्षा	31. नेतृत्व शिक्षा (हरिं विं शिक्षा बोर्ड)

**नोट :** उपर्युक्त के अतिरिक्त गृह विज्ञान, कृषि, ड्राइंग, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को कवर करती हुई पुस्तक अपनाने वारे संस्था के मुखिया अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड द्वारा कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

कक्षा न्यारहवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी (कोर)	1. आरोह भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 2. विज्ञान भाग-1 (पूरक पुस्तक) (ह.वि.शि.बो.) 3. अभिव्यक्ति और माध्यम (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए हिन्दी कार एवं हिन्दी ऐचिक के लिए) (ह.वि.शि.बो.)
2.	हिन्दी (ऐचिक)	4. अंतरा भाग-1 (NCERT) 5. अंतराल भाग-1 (पूरक पुस्तक) (NCERT)
3.	English (Core)	6. Hornbill (ह.वि.शि.बो.) 7. Snapshot (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)
4.	English (Elective)	8. Woven Words (NCERT)
5.	गणित	9. Mathematics (ह.वि.शि.बो.)
6.	जीव विज्ञान	10. Biology (ह.वि.शि.बो.)
7.	भौतिकी	11. Physics-I (ह.वि.शि.बो.) 12. Physics-II (ह.वि.शि.बो.)
8.	रसायन	13. Chemistry-I (ह.वि.शि.बो.) 14. Chemistry-II (ह.वि.शि.बो.)
9.	इतिहास	15. विश्व इतिहास के कुछ विषय (ह.वि.शि.बो.)
10.	भूगोल	16. भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.) 17. मारत-भौतिक पर्यावरण (ह.वि.शि.बो.) 18. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-1 (ह.वि.शि.बो.)
11.	अर्थशास्त्र	19. मारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (ह.वि.शि.बो.) 20. अर्थशास्त्र में सांख्यिकी (ह.वि.शि.बो.)
12.	राजनीति विज्ञान	21. मारत का संविधान सिद्धान्त और व्यवहार (ह.वि.शि.बो.) 22. राजनीतिक सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.)
13.	समाज शास्त्र	23. समाजशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.) 24. समाज का बोध (ह.वि.शि.बो.)
14.	व्यवसाय अध्ययन	25. व्यवसाय अध्ययन (ह.वि.शि.बो.)
15.	लेखाशास्त्र	26. वित्तीय लेखांकन भाग-1 (ह.वि.शि.बो.) 27. वित्तीय लेखांकन भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)
16.	संस्कृत	28. शाश्वती प्रथमो भाग (ह.वि.शि.बो.)
17.	पंजाबी	29. कव कमाई (नानक सिंह पुस्तक माला अमृतसर) 30. कथा कहानी (पंजाबी अकादमी, दिल्ली)
18.	जैव प्रौद्योगिकी	31. ए-टैक्स्ट बुक आँफ बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.) 32. ए-लेबोरेटरी मैन्युअल बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)
19.	उद्यमशीलता	33. उद्यमशीलता (सी.बी.एस.ई.)
20.	मनोविज्ञान	34. मनोविज्ञान का परिचय (NCERT)
21.	उदू	35. गुलिस्तां-ए-अदब (NCERT) 36. खयावां-ए-उदू (NCERT)
22.	कम्प्यूटर साइंस	37. इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एवं कम्प्यूटर साइंस (हारद्रौन)
23.	ITES	38. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
24.	ऑटोमोबाइल	39. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

25.	सिक्योरिटी सर्विसेज	40. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
26.	रिटेल इण्डस्ट्री विजनेस	41. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
27.	ब्यूटी एंड वैलनेस	42. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
28.	फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स	43. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
29.	पेशेट केयर एसिस्टेंट	44. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
30.	एग्री पैडी फार्मिंग	45. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
31.	ट्रूरिजम हॉस्पीटलिटी ट्रेचल	46. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
32.	मिडिया एनीमेशन	47. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
33.	Banking and finance services	48. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
34.	Banking Insurance	49. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
35.	Apparel Designing	50. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
36.	Vision Technician	51. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
37.	नैतिक शिक्षा	50. नैतिक शिक्षा (हरियो विद्यालय शिक्षा बोर्ड)

**नोट :**

1. गृह विज्ञान, फाइन आर्ट्स, कृषि, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नृत्य, संगीत विषयों हेतु सी.बी.एस.इ. द्वारा निर्धारित नए पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।
2. सैन्य विज्ञान/लोकप्रशासन विषयों हेतु इस बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित गत शैक्षिक सत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

कक्षा बारहवीं		
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम
1.	हिन्दी (कोर)	1. आरोह माग-2 (ह.वि.शि.बो.) 2. वितान माग-2 (पूरक पुस्तक) (ह.वि.शि.बो.)
2.	हिन्दी (ऐच्छिक)	3. अंतरा माग-2 (NCERT) 4. अंतराल माग-2 (पूरक पुस्तक) (NCERT) 5. अभिव्यक्ति और माध्यम (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए हिंदी कोर एवं हिंदी ऐच्छिक के लिए) (ह.वि.शि.बो.)
3.	English (Core)	6. Flamingo (ह.वि.शि.बो.) 7. Vistas (Suppl.) (ह.वि.शि.बो.)
4.	English (Elective)	8. Kaleidoscope (NCERT)
5.	संस्कृत	9. शाश्वती द्वितीय माग (ह.वि.शि.बो.)
6.	भौतिकी	10. Physics-I (ह.वि.शि.बो.) 11. Physics-II (ह.वि.शि.बो.)
7.	रसायन	12. Chemistry-I (ह.वि.शि.बो.) 13. Chemistry-II (ह.वि.शि.बो.)
8.	जीव विज्ञान	14. Biology (ह.वि.शि.बो.)
9.	गणित	15. Mathematics-I (ह.वि.शि.बो.) 16. Mathematics-II (ह.वि.शि.बो.)
10.	इतिहास	17. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-1 (ह.वि.शि.बो.) 18. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-2 (ह.वि.शि.बो.) 19. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-3 (ह.वि.शि.बो.)
11.	भूगोल	20. मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.) 21. भारत—लोग और अर्थव्यवस्था (ह.वि.शि.बो.) 22. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य माग-2 (ह.वि.शि.बो.)
12.	अर्थशास्त्र	23. व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.) 24. रामाष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.)
13.	राजनीति विज्ञान	25. रामकालीन विश्व राजनीति (ह.वि.शि.बो.) 26. स्वतन्त्र भारत में राजनीति (ह.वि.शि.बो.)
14.	समाज शास्त्र	27. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास (ह.वि.शि.बो.) 28. भारतीय समाज (ह.वि.शि.बो.)
15.	व्यवसाय अध्ययन	29. व्यवसाय अध्यन माग-1 (ह.वि.शि.बो.) 30. व्यवसाय अध्यन माग-2 (ह.वि.शि.बो.)
16.	लेखाशास्त्र	31. अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते (ह.वि.शि.बो.) 32. कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (ह.वि.शि.बो.)
17.	पंजाबी	33. काव्य कीर्ति (गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय अमृतसर) 34. एहुनिका गद्य रत्नाकर (पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला) 35. शोभा शवित (आर.सी. पब्लिशिंग, प्लीजर गार्डन, चांदनी चौक, दिल्ली)
18.	जैव प्रोद्योगिकी	36. ए-टैक्स्ट बुक ऑफ बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.इ.) 37. ए-लेबोरेटरी मैन्युअल बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.इ.)
19.	उद्यमशीलता	38. उद्यमशीलता (सी.बी.एस.इ.)

**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**वार्षिक परिपत्र 2020–2021**

20.	मनोविज्ञान	39. मनोविज्ञान (NCERT)
21.	उदू	40. गुलिरता-ए-अदब (NCERT)
22.	कम्प्यूटर साइंस	41. खयातां-ए-उदू (NCERT)
23.	ITES	42. इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एवं कम्प्यूटर साइंस (हारट्रॉन)
24.	ऑटोमोबाइल	43. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
25.	सिक्योरिटी सर्विसेज	44. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
26.	रिटेल इण्डस्ट्री बिजनेस	45. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
27.	ब्यूटी एवं वैलनेस	46. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
28.	फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स	47. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
29.	पेशेट केर एसिस्टेंट	48. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
30.	एग्री पैडी फार्मिंग	49. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
31.	टुरिजम हॉस्पीटलिटी ट्रेवल	50. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
32.	मिडिया एनीमेशन	51. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
33.	नैतिक शिक्षा	52. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
		53. नैतिक शिक्षा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड)

**नोट :**

1. गृह विज्ञान, फाइन आर्ट्स, कृषि, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नृत्य, संगीत विषयों हेतु सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित नए पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।
2. सैन्य विज्ञान/लोकप्रशासन विषयों हेतु इस बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित गत शैक्षिक सत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

**आवश्यक सूचना**

बोर्ड कार्यालय द्वारा परीक्षा संबंधी व अन्य सभी प्रकार के भुगतान शिक्षकों के बैंक खातों में सीधे ही करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए सभी शिक्षक अपनी पारिश्रमिक राशि प्राप्त करने के लिए बिल के साथ बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आईफोनसीरीज (IFSC) अवश्य लिखें।